कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–3062 / FP/UK/Others/40044/2019 :देहरादूनःदिनांकः 22 मई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। ऑनलाइन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् निम्नानुसार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं:–

1. प्रश्नगत लीज 1975 में कृषि सेवा केन्द्र हेतु 30 वर्षों की लीज पर दी गई थी, जो वर्ष 2005 में समाप्त हो चुकी है, जिसका वर्ष 2005–06 में लीज नवीनीकरण किया जाना था, जो कि आतिथि तक नहीं किया गया। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–637/(1)/14–2–578/74 वर्ष 1978 के द्वारा कृषि सेवा केन्द्र हेतु लीज पर दी गयी भूमि पर कतिपय शर्तों के तहत कृषि सेवा केन्द्र के साथ पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति दी गयी है, किन्तु प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि लीज पर दी गयी वन भूमि पर मात्र पेट्रोल पम्प ही संचालित हो रहा है। स्थिति स्पष्ट करें।
3. क्या लीज धारक द्वारा लीज स्वीकृति आदेश में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन पूर्ण किया गया है ?
4. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 की बिन्दु संख्या–9 में अधिनियम, का उल्लंघन न होने की सूचना अंकित की गयी है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि लीज अवधि समाप्त हुये 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लीज धारक द्वारा अभी तक पूर्व में कथित प्रयोजन हेतु लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण नहीं किया गया है तथा वन भूमि पर काबिज है। क्या यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–5.5 के उप बिन्दु (a) व (b) पर सूचना अंकित नहीं की गयी है।
6. प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत लीज आरक्षित वन भूमि में दी गयी है किन्तु प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 11.1 के लैण्ड शैड्यूल जो कि राजस्व विभाग व अन्य से सम्बन्धित है में भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–19 के अनुसार प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से 0.5 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन की संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में (विशेषकर जिलाधिकारी से सम्बन्धित) तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–25 में उल्लेख किया गया है कि कृषि सेवा केन्द्र का ले–आउट प्लान /मदवार विवरण संलग्न है का उल्लेख किया गया है जो कि नहीं किया गया है। लीज पर दी गयी वन भूमि पर किये गये निर्माण से सम्बन्धित कार्य का ले–आउट प्लान/मानचित्र मदवार विवरण सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. एन0पी0वी0 का निर्धारण नई दरों के अनुसार आंकलित कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
11. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–46 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। स्थिति स्पष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/लीज धारक को सूचित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः— 3062 /FP/UK/Others/40044/2019 दिनाँकित।

1. **प्रतिलिपि :—** प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण/समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपि :—** श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल, एग्रो सर्विसेज एण्ड फिलिंग सेन्टर, रानीखेत रोड़, रामनगर (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।